वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 14.11.2024

वीडीए बोर्ड बैठक : एग्रीमेंट में गड़बड़ी पर अब बिल्डरों पर भी होगी कार्रवाई

जमीन मालिक और बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत गड़बड़ी करने पर बच जाते थे बिल्डर, जवाहर मार्केट के पुनर्विकास के लिए एमओयू का प्रस्ताव मंजूर

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। जमीन मालिक और बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अब बिल्डरों पर भी कार्रवाई होगी। अब तक विकास कार्य के दौरान गड़बड़ियां मिलने पर बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। बिल्डर की गलती पर भी जमीन मालिकों पर ही कार्रवाई होती थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत वीडीए कार्रवाई करेगा।

यह निर्णय मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को वीडीए सभागार में हुई वीडीए बोर्ड की 132वीं बैठक में लिया गया। बैठक में इंग्लिशिया लाइन में जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के लिए एनबीसीसी के साथ एमओयू करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। लालपुर में लैंडमार्क टावर तीन के पीछे आरक्षित भूमि पर वीडीए लाइब्रेरी और चार तल का कम्युनिटी सेंटर बनाएगा। वीडीए की अनिस्तारित संपत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ। कज्जाकपुरा स्थित डीआईजी कॉलोनी में वीडीए के अधिकारियों के लिए आवास बनाया जाएगा। इसके अलावा प्लॉट संख्या-34 पर पुनर्निर्माण का अनुमोदन किया गया। इससे 10 आवास अधिकारी और कर्मचारी के लिए बनकर तैयार होंगे। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के प्रस्ताव आए। जिसमें पेट्रोल पंप/पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव को शामिल किया गया। पेइंग गेस्ट के मानकों में शिथिलता के संबंध में प्रस्ताव आया। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत नियोजित कुछ भूखंडों को ई ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया। संचालन वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने किया।

कॉमिक पुस्तिका का विमोचन : बोर्ड बैठक के बाद मानकों के अनुसार भवन बनाए जाने के लाभ को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक कॉमिक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

बैठक में ये रहे शामिल : बोर्ड के सदस्य प्रदीप अग्रहरी, साधना वेदांती के अलावा जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, वीडीए के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव, अधीक्षण अभियंता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार मौजूद रहे।

बैठक करते कमिश्नर कौशल राज शर्मा, वीडीए वीसी और मिर्जापुर की डीएम। अमर उजाला

अवैध निर्माण रोकने के लिए तैनात होंगे पूर्व सैनिक

वरुणा किनारे के वार्ड में अवैध निर्माण रोकने के लिए पूर्व सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। वीडीए की किराये पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव पास किया। प्रत्येक गैर आवासीय बिल्डिंग जिसका प्लॉट एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है। उसे अपने सिंगल/एंट्री प्वाइंट पर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा क्यूआर कोड के रूप में और स्वीकृति का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा।

वीडीए बोर्ड के सदस्य ने शहर की कई समस्याएं उठाईं

वीडीए बोर्ड के सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने सटीनिया दाई के आवास मार्ग, शहर में वीडीए की ओर से तोड़े गए भवनों के खतरनाक हिस्से को हटाने, अविकसित क्षेत्र में नक्शा पास कराने की दिक्कत खत्म करने, सप्तसागर दवा मंडी के बेसमेंट में दुकानों से होने वाले जाम की समस्या उठाई गई। जिस पर विचार किया गया।

हिन्दुस्तान –दि0 14.11.2024

एग्रीमेंट से अलग निर्माण पर बिल्डर भी नपेंगे

वीडीए बोर्ड

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। भवन निर्माण के लिए यदि आप बिल्डर से एग्रीमेंट करते हैं और मानकों में कोई उल्लंघन होता है तब बिल्डरों पर भी कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय बुधवार को कमिश्नर कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में वीडीए बोर्ड की 132वीं बैठक में लिया गया। अब तक मानकों के विपरीत निर्माण होने पर भवन स्वामियों पर कार्यवाही होती रही है, बिल्डर बचते रहे हैं। अब बिल्डरों की भी जवाबदेही तय होगी। वीडीए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत बिल्डरों पर भी कार्यवाही करेगा।

वीडीए मुख्यालय में बोर्ड की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार लालपुर में लैंडमार्क टॉवर 3 के पीछे चार मंजिला कम्युनिटी सेन्टर एवं लाइब्रेरी का निर्माण होगा। बोर्ड ने इंग्लिशिया लाइन नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के साथ एमएमओयू का प्रस्ताव पारित कर दिया। मानकों के अनुसार भवन बनाए जाने के लाभ आमलोगों तक पहुंचाने के लिए एक कॉमिक का विमोचन भी हुआ।

बैठक में बोर्ड के सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अंबरीश सिंह भोला, साधना वेदांती, मिर्जापुर की डीएम प्रियंका निरंजन, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव, एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार आदि मौजूद थे।

बुधवार को कमिश्नर कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में वीडीए बोर्ड की बैठक हुई।

बोर्ड की बैठक में अन्य निर्णय भी लिये गए

- वीडीए संपत्तियों की बिक्री पर 30 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन, पेट्रोल पंप-होटल निर्माण के लिए प्लॉट के आकार मानकों में बदलाव के प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे
- पेइंग गेस्ट के मानकों में ढील का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा शासन को।

भवन निर्माण उपविधि 2023 का अनावरण

कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने वीडीए की भवन निर्माण उपविधि 2023 का अनावरण किया। इसमें भवन निर्माण से संबंधित सभी मानकों को शामिल किया गया है। कमिश्नर ने इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम और जियोटिक्स सॉफ्टवेयर का भी विमोचन किया। जियोटिक्स सॉफ्टवेयर से पहले एवं इस साल की सैटेलाइट इमेज के आधार पर बिना नक्शा पास हुए निर्माण चिन्हित किए जाएंगे।

ट्रांसपोर्ट नगर में आमलोगों को भी प्लॉट: बोर्ड की बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में कुछ प्लॉट आमलोगों को भी आवंटित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इनकी बिक्री ई-नीलामी से होगी। तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक एरिया के आवासीय बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर क्यूआर कोड के रूप में वीडीए से स्वीकृत नक्शा लगाना जरूरी होगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 14.11.2024

लालपुर में बनेगी 4700 वर्गमीटर क्षेत्र में चार मंजिला लाइब्रेरी व कम्युनिटी हाल

वरुणा किनारे के वार्ड में अवैध निर्माण रोकने को सुपरवाइजर संग तैनात होंगे पूर्व सैनिक

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की 132वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य तौर पर लालपुर लैंडमार्क टावर-3 के पीछे आरक्षित भूमि पर वीडीए की ओर से जी प्लस-4 तल का कम्युनिटी सेंटर व लाइब्रेरी का निर्माण शामिल है। 4700 वर्गमीटर में इसका निर्माण होगा। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बोर्ड ने यह भी तय किया कि वरुणा किनारे के वार्ड में अवैध निर्माण रोकने के लिए अब सुपरवाइजर के अतिरिक्त पूर्व सैनिक भी तैनात किए जाएंगे। इसी के साथ 300 वर्ग मीटर क्षेत्र के प्रत्येक गैर आवासीय बिल्डिंग के रिसेप्शन या एंट्री प्वाइंट पर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा क्यूआर कोड के रूप में और स्वीकृति का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा।

प्राधिकरण सभागार में बोर्ड की बैठक में इंग्लिशिया लाइन के जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कांप्लेक्स पुनर्विकास को एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन) संग हुए एमओयू को भी हरी झंडी दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि भू-स्वामी बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अगर विकास कार्य भू-स्वामी से इतर कोई व्यक्ति कराएगा तो विकास प्राधिकरण अब उसे पक्षकार बनाते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) अंतर्गत कार्यवाही करेगा। पहले बिल्डर्स मनमाने ढंग से निर्माण कराते थे और भू स्वामी की फसान होती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

बोर्ड ने यह भी कहा कि प्राधिकरण की अनिस्तारित संपत्तियों को अब अलोकप्रिय घोषित करने के प्रस्ताव आने पर उक्त संपत्तियां की दर पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। खजुरी स्थित डीआइजी कालोनी में प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए आवास भवन निर्माण करने और प्लाट संख्या-34 पर पुनर्निर्माण को बोर्ड ने अनुमोदित किया। इसकी स्वीकृति के बाद 10 आवास अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए निर्मित हो सकेंगे।

लेआउट में स्वीकृत किए गए प्लाट्स पर शुल्क जमा करके आमेलन करने पर भी स्वीकृति दी गई। इससे बहुतायत को फायदा मिलेगा। एक स्थान पर दो प्लाट लेने वालों को अलग अलग प्रक्रिया नहीं करानी पड़ेगी। पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव का प्रस्ताव, वर्तमान में 250 मीटर भूखंड पर पेइंग गेस्ट निर्माण के मानकों में शिथिलता के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजने पर भी सहमति बनी।

ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों की बाजार कीमत जानेगा वीडीए: टांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत नियोजित कुछ भूखंडों को आम जनमानस के मध्य ई-आक्शन के माध्यम से विक्रय किया जाएगा ताकि बाजार में रेट की जानकारी हो सके। बोर्ड ने यह भी तय किया कि पूर्व के आवेदकों से सहमति पत्र लिया जाए कि उसे किस साइज का प्लाट चाहिए।

किराए पर आवंटित संपत्तियों के क्रय पर बीस प्रतिशत छूट: विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में किराए पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बताया जा रहा है कि इससे विकास प्राधिकरण को अच्छा राजस्व अर्जित होगा।

कमिश्नर व वाराणसी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौशल राज शर्मा बोर्ड की बैठक के बाद कार्मिक पुस्तिका विमोचन करते हुए • सूचना विभाग

नवीनीकृत भवन का लोकार्पण, कार्मिक पुस्तिका का विमोचन

कमिश्नर व अध्यक्ष कौशल राज शर्मा ने प्राधिकरण के नए भवन का लोकार्पण किया। साथ ही मानकों के अनुसार भवन बनाए जाने के लाभ को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक कामिक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका के माध्यम से नागरिकों को भवन निर्माण से संबंधित नियमों और मानकों के बारे में सरल और प्रभावी जानकारी दी जाएगी।

300 वर्गमीटर गैर आवासीय बिल्डिंग के एंट्री प्वाइंट पर लगाना होगा स्वीकृत नक्शे का क्यूआर कोड

भवन निर्माण उपविधि-2023 व आइपीएमएस व जीएस का अनावरण

विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण के नए नियम और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए भवन निर्माण उपविधि-2023 का अनावरण किया गया। इसी के साथ इंटीग्रेटेड प्रापर्टी मैनजमेंट सिस्टम (आइपीएमएस) और जियोट्रिक्स साफ्टवेयर का विमोचन किया गया। इस साफ्टवेयर से प्राधिकरण की संपत्तियों और भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा। इससे कार्य में ईमानदारी व दक्षता आएगी। जियोट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा पूर्व वर्ष एवं इस वर्ष की सैटेलाइट इमेज को कंपेयर कर बिना नक्शा पास निर्माण चिह्नित होंगे।

इनकी रही उपस्थिति

बोर्ड सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अंबरीश सिंह भोला व साधना वेदांती, डीएम मीरजापुर प्रियंका निरंजन के साथ ही वीडीए के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव, अधीक्षण अभियंता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने किया। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 14.11.2024

जवाहरलाल नेहरू व्यावसायिक काम्प्लेक्सके बहुरेंगे दिन, एमएमओयू पर विप्रा शीघ्र करेगा हस्ताक्षर

विकास प्राधिकरणके नवीनतम भवनका होगा लोकार्पण, भूमि निर्माण एवं विकास उपविधिके संशोधन प्रस्तावको मिली मंजूरी

विकास प्राधिकरण सभागारमें बुधवारको बोर्डकी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मण्डलायुक्त एवं अध्यक्ष कौशलराज शर्माने दिया। बैठकमें अन्य बातोंके अलावा इंग्लिशिया लाइनमें जवाहरलाल नेहरू व्यावसायिक काम्प्लेक्समें पुनर्विकासके लिए एनबीसीसी के साथ एमएमओयू पर हस्ताक्षर करनेके लिए सदस्योंने अनुमोदित कर दिया। इसके अलावा लालपुर लैंडमार्ग टावर-३ के पीछे आरक्षित भूमिपर विप्रा चार तलेकी एक भवन तैयार करेगा जिसमें कि कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी खोला जायेगा। इसके अलावा भूस्वामी बिल्डर एग्रीमेंटके तहत विकास प्राधिकरणको पक्षकार बनाते हुए एवं नगर नियोजनके अधिनियमके तहत कारस्वाई करेंगे। इसके अलावा आलोकप्रिय सम्पत्तियोंको बेचनेके लिए ३० प्रतिशतकी छूट दी जायेगी। खजुरी कालोनीमें दस आवास अधिकारियों एवं कर्मचारियोंका तैयार किया जायेगा। यहांपर प्लाट संख्या ३४ पर भी सदस्योंने विचार किया। विप्राकी सम्पत्तियोंमें जिसमें लेआउट स्वीकृत किया गया है उसमें शुल्क जमाकर स्वीकृति दी जा सकती है। सबसे प्रमुख विषय यह है कि भवन निर्माण एवं विकासमें उपविधि

२००८ में संशोधनका प्रस्ताव शामिल किया गया जिसके अन्तर्गत पेट्रोल पम्प, होटल निर्माणके लिए भूखण्डके मानकोंमें बदलाव किया जा सकता है। पेइंग गेस्ट मामलेमें २५० मीटर भूखण्ड आवश्यक है। ट्रांसपोर्ट नगर योजनामें बाजारके वर्तमान दामके आधारपर सहमति पत्र प्राप्त किये जायेंगे जिसके बाद इच्छुक व्यक्ति प्लाट ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति विकास प्राधिकरणकी सम्पत्ति का मूल मालिक बनना चाहता है तो उसे एकमुश्त जमा करना होगा जिसपर २० प्रतिशतकी छूट प्रदान की जायेगा। सदस्योंने कामी पुस्तकका विमोचन, भवन निर्माण उपविधि २०२३ का अनावरण, आईपीएमएस ज्योटिक साफ्टवेयर जिसके तहत प्राधिकरणकी सम्पत्ति और भूमिका बेहतर प्रबन्ध होता उसे और पारदर्शी बनाया जायेगा। वरुणाके किनारे अवैध निर्माण रोकनेके लिए विप्राके सुपरवाइजर के अलावा भूतपूर्व सैनिकोंकी तैनाती की जायेगी। बैठक शुरू होने से पहले मण्डलायुक्त एवं अध्यक्षने विकास प्राधिकरणके नवीनकृत भवनका लोकार्पण भी किया। बैठकमें विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्गने सदस्योंके समक्ष प्रस्ताव पढ़ा, जबकि सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्राने संचालन किया। बैठकमें सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अमरीश सिंह, साधना वेदान्तीके अलावा जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, विप्राके अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजन प्रभात कुमार, सयुंक्त सचिव परमानन्द यादवके अधीक्षण और अधिशासी अभियन्ता, एचडीएफसी बैंकके जोनल हेड मनीष टण्डन, कलेस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 14.11.2024

मंडलायुक्त ने किया कॉमिक पुस्तिका का विमोचन, कम्युनिटी सेंटर बनाएगा वीडीए

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए की 132वीं बोर्ड की बैठक वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में वीडीए अध्यक्ष मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लालपुर में लैण्डमार्क टावर-3 के पीछे आरक्षित भूमि पर वीडीए कम्युनिटी सेन्टर बनायेगा पर मोहर लगी। वहीं इंग्लिशिया लाईन में जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास को एनबीसीसी के साथ एमओयू कराये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने बैठक में अनुमोदित किया। बैठक की शुरुआत प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को पौध भेंट संग हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीश सिंह व साधना वेदांती संग जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, वीडीए अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव,

अधीक्षण अभियंता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र व उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान बैठक में प्रमुख विषय व प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें प्राधिकरण ने सूचित किया गया कि भू-स्वामी बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अगर विकास कार्य भू स्वामी से इतर व्यक्ति कराता है तो उसको प्राधिकरण द्वारा पक्षकार बनाते हुये उ0प्र0 नगर नियोजन व विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

इस दौरान बैठक में आये प्रस्तावों में प्राधिकरण की अविक्रीत संपत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करने, प्राधिकरण के लिए आवेदन नीति के संबंध में, पेइंग गेस्ट के मानकों में शिथिलता के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के प्रस्ताव में पेट्रोल पम्प पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल किया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर योजना अंतर्गत निर्मित भूखंडों को आम जनमानस के मध्य ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने के पहले पूर्व के आवेदकों से सहमति पत्र प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव और विकास प्राधिकरण की किराए पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा किया गया। वहीं खजुरी स्थित [illegible] कालोनी में प्राधिकरण के अधिकारियों का आवास भवन निर्माण करने और प्लॉट संख्या-34 पर पुनर्निर्माण का अनुमोदन किया। बोर्ड बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा नवीनीकृत भवन का लोकार्पण मण्डलायुक्त द्वारा किया गया। बोर्ड बैठक बाद मानकों के अनुसार भवन बनाने के लाभ को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक कॉमिक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका के माध्यम से नागरिकों को भवन निर्माण से संबंधित नियमों और मानकों के बारे में सरल और प्रभावी जानकारी दी जाएगी।

भवन निर्माण उपविधि-2023 का अनावरण : प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण के नए नियम और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए भवन निर्माण उपविधि-2023 का अनावरण भी किया गया। इस उपविधि में भवन निर्माण से संबंधित सभी मानकों का समावेश किया गया है, जिससे नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित हो सके।

आईपीएमएस और जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर का विमोचन : कार्यक्रम के दौरान एकीकृत संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) और जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर का भी विमोचन किया गया। इन सॉफ्टवेयरों का उद्देश्य प्राधिकरण की संपत्तियों और भूमि का बेहतर प्रबंधन करना है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

न्यायाधीश—दि0 14.11.2024

लालपुर में लैण्डमार्क टावर-3 के पीछे आरक्षित भूमि पर वीडीए बनायेगा कम्युनिटी सेन्टर

इंगलिशिया लाईन में जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास हेतु एनबीसीसी के साथ एमएमओयू कराये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने किया अनुमोदित

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में वीडिए की 132वी बोर्ड की बैठक वाराणसी के मण्डलायुक्त/ अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण कौशल राज शर्मा कीअध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में संपन हुई। बैठक की शुरुआत प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को पौध भेंट किये जाने के साथ की हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक मेंप्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह (भोला) व साधना वेदांती, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव,अधीक्षण अभियन्ता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खनन, संतोष कुमारआदि मौजूद रहे। संचालन वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया, जबकि उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया।प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2024 में रखे गए प्रमुख विषय / प्रस्ताव, जिन पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, निमन्वत है ।भू-स्वामी बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अगर विकास कार्य भू स्वामी से इतर व्यक्ति कराता है तो उसको वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पक्षकार बनाते हुये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवम विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनिस्तारित संपत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करने का प्रस्ताव।वाराणसी खजुरी स्थित डीआईजी कालोनी में वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु आवास भवन का निर्माण करने और प्लॉट संख्या-34 पर पुनर्निर्माण का अनुमोदनवाराणसी विकास प्राधिकरण के लिए आमेलन नीति के संबंध मेंप्रस्तावभवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के प्रस्ताव, जिसमें पेट्रोल पंप/पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है।पेइंग गेस्ट के मानकों में शिथिलता के संबंध मेंप्रस्ताव।ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत नियोजित भूखंडो को आम जनमानस के माध्यम इ ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने के पहले पूर्व के आवेदकों से सहमति पत्र प्राप्त किये जाने का प्रस्तावविकास प्राधिकरण की किराए पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव।बोर्ड बैठक के पश्चात् मानको के अनुसार भवन बनाए जाने के लाभ को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक कॉमिक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका के माध्यम से नागरिकों को भवन निर्माण से संबंधित नियमों और मानकों के बारे में सरल और प्रभावी जानकारी दी जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 14.11.2024

वीडीए की 132वीं बोर्ड बैठक मण्डलायुक्त/अध्यक्ष कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न

- *लालपुर में G+4 तल का कम्युनिटी सेन्टर एवं लाइब्रेरी बनेगा, एनबीसीसी के साथ एमएमओयू कराये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने किया अनुमोदित*
- *भवन निर्माण उपविधि-2023 का अनावरण व IPMS और Geotrics Software का विमोचन किया गया*

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में वीडीए की 132वीं बोर्ड की बैठक वाराणसी के मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को पौध भेंट किये जाने के साथ की हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। संचालन वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया, जबकि उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखे गए प्रमुख विषय / प्रस्ताव, जिन पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई उनमेंभू-स्वामी बिल्डर्स एग्रीमेंट के तहत अगर विकास कार्य भू स्वामी से इतर व्यक्ति कराता है तो उसको वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पक्षकार बनाते हुये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवम विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनिस्तारित संपत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करने का प्रस्ताव जिससे उक्त संपत्तियां की दर पर 30 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।वाराणसी खजुरी स्थित डीआईजी कालोनी में वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु आवास भवन का निर्माण करने और प्लॉट संख्या-34 पर पुनर्निर्माण का अनुमोदन। जिससे 10 आवास अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए बनकर तैयार हो जायेंगें। वाराणसी विकास प्राधिकरण के लिए आमेलन नीति के संबंध में प्रस्ताव जिस में लेआउट में स्वीकृत किए गए प्लॉट्स पर शुल्क जमा करके आमेलन करने पर स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन के प्रस्ताव, जिसमें पेट्रोल पंप/पेट्रोल स्टेशन और होटल निर्माण के लिए भूखंड आकार मानकों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है।विकास प्राधिकरण की किराए पर आवंटित संपत्तियों को क्रय करने के इच्छुक मूल आवंटियों को एकमुश्त भुगतानपर 20 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।बोर्ड बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नवीनीकृत भवन का लोकार्पण मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल/अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण कौशल राज शर्मा द्वारा किया गया। बोर्ड बैठक के पश्चात् मानको के अनुसार भवन बनाए जाने के लाभ को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक कॉमिक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका के माध्यम से नागरिकों को भवन निर्माण से संबंधित नियमों और मानकों के बारे में सरल और प्रभावी जानकारी दी जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण के नए नियम और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए भवन निर्माण उपविधि-2023 का अनावरण भी किया गया। इस उपविधि में भवन निर्माण से संबंधित सभी मानकों का समावेश किया गया है, जिससे नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम के दौरान Integrated Property Management System (IPMS) और Geotrics Software का भी विमोचन किया गया। इन सॉफ्टवेयरों का उद्देश्य प्राधिकरण की संपत्तियों और भूमि का बेहतर प्रबंधन करना है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। Geotrics सॉफ्टवेयर द्वारा पूर्व वर्ष एवं इस वर्ष की सैटेलाइट इमेज को कंपेयर कर बिना नक्शा पास किए गए निर्माण को चिन्हित किया जा सकेगा। बैठक में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह (भोला) व साधना वेदांती, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव परमानंद यादव,अधीक्षण अभियन्ता अजय पवार तथा एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन, क्लस्टर हेड रोहित खन्ना, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।

वीडिए की बोर्ड बैठक में पुस्तिका का विमोचन करते मण्डलायुक्त कौशल राज शर्मा। इस दौरान डीएम मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, वीडीए वीसी पुलकित गर्ग, सचिव डा. वेदप्रकाश, सदस्य अम्बरीश सिंह भोला, प्रदीप अग्रहरि, साधना वेदांती रहे मौजूद

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 14.11.2024

वी. डी. ए सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वी0डी0ए, सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रभात कुमार (टाउन प्लानर) एवं डॉ0 नम्रता जायसवाल (सीनियर हाइड्रोजियोलास्टि) की उपस्थिति में प्रवीन शर्मा निदेशक एवं सजल जैन प्रोजेक्ट हेड, अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वी0डी0ए सभागार में में वर्षा जल संचयन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्वाचल रियल स्टेट एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन एवं आर्किटेक्ट/इंजिनियर एशोसिएशन वाराणसी के सदस्य उपस्थित रहें। जिसमें काशी में गिरतें भू जल स्तर एवं विकास कार्यो हेतु भवनों में बिल्डरों द्वारा जल संचय कि अनिवार्यता पर बल दिया गया।

कार्यशाला में प्रस्तुती करण के दौरान अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीं द्वारा पुरानी रेन हारवेस्टिंग सिस्टम प्रणाली के स्थान पर प्योर रेन हारवेस्टिंग सिस्टम के तहत बड़े छोटे फिल्टर प्रोटेबल टैंक स्थापित कर वर्षा का जल संचय का सुझाव दिया। एशोसिएशन के सदस्यों द्वारा ट्रिटेड जल द्वारा सार्वजनिक पार्क एवं बगीचों के सिचाई का प्रस्ताव दिया गया। एनवारियों एमपेरिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा फ्लो मीटर एवं पिजों मिटर का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भू–गर्भ विभाग द्वारा बोरवेल हेतु पंजिकरण एवं आनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये।